



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1395/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 06/02/2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2021 के अनुमोदनानुसार, कला महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	पी.जी.डी.सी.ए. (नवीन विषय)	25 सीट	2020-2021
2	डी.सी.ए. (नवीन विषय)	25 सीट	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 17-53/2019/38-2, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.10.2020 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
 06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
 08. जॉच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

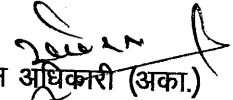
S. G. 22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 1396 / अका. / सम्बद्धता / 2021
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/02/2021

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- 06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ


कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"
भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 963/अका./संबद्धता/2020, दिनांक 28/12/2020

निरीक्षण की तिथि : 14/01/2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
D.C.A.		25	2020-21	DCA में 06 अभ्यर्थी एवं
P.G.D.C.A.		25	2020-21	P.G.DCA में 12 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं।

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	वैधता हेतु दिनांक 14/12/2020 को कार्यालय पंजीयन क्रमांक 00/00/00/00 द्वारा प्रमाणित किया गया।
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	स्वयं 3.00 है।
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	5,17,608/- (in Rs.)
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	बिन्दु क्र. 13 के निष्पत्ति अनुसार जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए।
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं का भवन
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	कक्ष उपलब्ध है।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	पर्याप्त है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	उपकरण उपलब्ध है। केवल software Licence की आवश्यकता है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	कोई निपटित शिक्षक नहीं है। दिनांक 08/01/2021 को निपटित शिक्षकों हेतु विज्ञापन जारी करने की व्यवस्था DDC से प्राप्त हो चुकी है।

Mr. Shyam Sharma
14/01/21

Signature

465

Signature
14/1/21

(V) Syllabus हे अनुसार Reference book
प्रय करने की आवश्यकता है।

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	ग्रंथपाली ग्रंथपाल 01 है। स्थापी ग्रंथपाल हेतु DDC कार्य दिनांक 08/01/2021 को विज्ञापन की मधुमति प्राप्त कइ ली गयी है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	(i) Library common room under construction (ii) playground etc.
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?	NA	
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे	Internet and wifi facility की आवश्यकता है।	
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।	(i) Appointment of Regular Teacher and staff (ii) Licence software (iii) Books, magazines and Journals.	

निरीक्षण समिति के

संयोजक का नाम एवं

हस्ताक्षर

Dr. Surendra Kumar Patel

दिनांक 14/01/2021

प्रति,

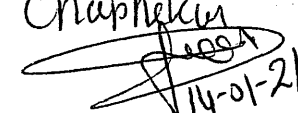
कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

राजपुर (रु.ग.)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. Dr. Devendra Chapekum

2. 

3. 

4. 

...

...

...

